कार्यालय कलेक्टर जिला गरियाबंद (छ.ग.) एवं पदेन सचिव छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

//प्रारंभिक अधिसूचना//

गरियाबंद, दिनांक/04/08/2020

भू–अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ–82/वर्ष 2019–20 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनसूची के कॉलम (01) से (05) में दर्शित भूमि की अनुसूची के कॉलम (07) में दर्शित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद द्वारा अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सर्व संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद द्वारा अनुसूची के कॉलम (06) में उल्लेखित प्राधिकारी को उपरोक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:–

अनुसूची

भूमि का प्रकार					धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा नंबर	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
01	02	03	04	05	06	07
गरियाबंद	छुरा	कोरासी	239	0.06	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद	पीपरछेड़ी जलाशय योजना अंतर्गत माईनर नहर नाली निर्माण कार्य हेतु
			240	0.05		
			241	0.10		
			242	0.06		
			243	0.04		
			247/1	0.20		
योगः– कुल खसरा नंबर 06कुल रकबा 0.51हेक्टेयर						

02/– यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में कोई भी हितबद्ध व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि के 60 दिवस के भीतर अर्जित की जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल /उपयुक्तता/लोक प्रयोजन के औचित्य/सामाजिक समाघात निर्धारण के बारे में अपना दावा–आपत्ति लिखित में कलेक्टर को स्वयं अथवा अपने अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से अधिनियम 2013 की धारा 15 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रस्तुत कर सकेगा।

03/– भूमि का नक्शा/प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **गरियाबंद** जिला गरियाबंद (छ0ग0) के कार्यालय में देखा जा सकता है।

04/– प्रस्तावित भू–अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

Scanned by CamScanner

05/— प्रस्तावित प्रयोजन के भू—अर्जन के लिए कराये गये सामाजिक समाघात अध्ययन के अनुसार भूमि का अर्जन अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा भूमि अर्जन से सामाजिक समाघात की तुलना में सामाजिक लाभ अधिक होना पाया गया है।

06/— प्रस्तावित भू—अर्जन के लिए अधिनियम 2013 की धारा 43 के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) **गरियाबंद**, जिला—गरियाबंद(छ0ग0) को पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक नियुक्त किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(छतर सिंह डेहरे)
कलेक्टर,
जिला—गरियाबंद
एवं पदेन सचिव छ0ग0 शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

भू-अर्जन अधिकारी
गरियाबंद

Scanned by CamScanner

पृ.क्र. 4357 F/भू–अर्जन /2020 गरियाबंद, दिनांक 05/08/2020

प्रतिलिपि :–

1. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय छत्तीसगढ, राजनांदगांव को छत्तीसगढ राजपत्र भाग–1 में तत्काल प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
2. कार्यपालन अभिंयता, जल संसाधन संभाग गरियाबंद को सूचनार्थ एवं अधिसूचना का प्रकाशन 02 स्थानीय समाचार पत्र में कराकर प्रकाशन की प्रति तत्काल अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं सह भू–अर्जन अधिकारी गरियाबंद को उपलब्ध करावें।
3. प्रभारी अधिकारी, (एन.आई.सी.) जिला–गरियाबंद को सूचनार्थ। कृपया इस अधिसूचना को स्थानीय वेबसाइड पर अपलोड करें।
4. तहसीलदार छुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया जिला अनुविभाग कार्यालय एवं संबंधित ग्राम पंचायत/प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रिति जैसे मुनादी कराने/जो विहित हो सूचना दिया जाकर रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित करें।
5. सचिव ग्राम पंचायत करकरा, तहसील–छुरा को उक्त अधिसूचना का प्रकाशन पंचायत के सूचना पटल में कराने हेतु सूचनार्थ ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0) एवं
सह भू–अर्जन अधिकारी,
गरियाबंद

Scanned by CamScanner